न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन

फौजदारी अपील संख्या : 380 / 2026

राकेश गुर्जर पुत्र अमृतलाल गुर्जर, उम्र 23 वर्ष, निवासी गांव भाड़ौद, थाना गुडादित, जिला कोटा, हाल खानाबदोश, रेलवे स्टेशन, जयपुर।

———अपीलार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर–प्रथम

———प्रत्यर्थी

फौजदारी अपील अंतर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (374 दं.प्र.सं.) विरूद्व निर्णय दिनांक 15.05.2026, संबंधित आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 192 / 2025 (सीआईएस नं. 1957 / 2014), बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम राकेश गुर्जर, अपराध अंतर्गत धारा 4 / 25 आयुध अधिनियम, पीठासीन अधिकारी श्री सीताराम चौधरी, आर.जे.एस., अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16, जयपुर महानगर–प्रथम

उपस्थित :–

1– श्री राजेन्द्र सिंह पूनियां व श्री राकेश कुमार सैनी, योग्य अधिवक्तागण वास्ते अपीलार्थी–अभियुक्त

2– श्री दिनेश कुमार कुमावत, योग्य लोक अभियोजक वास्ते राज.राज्य

निर्णय दिनांक : 20.06.2026

1. अपीलार्थी–अभियुक्त राकेश गुर्जर द्वारा यह फौजदारी अपील विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 192 / 2025 (सीआईएस नं. 1957 / 2014) बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम राकेश गुर्जर में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 15.05.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त राकेश गुर्जर को आयुध अधिनियम की धारा 4 / 25 के अन्तर्गत दोषसिद्व कर 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500 / – रुपये अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जयसिंह, एएसआई, पुलिस थाना जालुपुरा ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दिनांक 02.08.2014 को वह मय कांस्टेबल रिडमल सिंह व सुरेश सिंह, समय 11:30 पी.एम पर थाने से श्री मनोज कुमार, कांस्टेबल की इत्तला पर पोलोविक्ट्री पहुंचे, तो देखा कि एक व्यक्ति पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने एक धारदार चाकू लेकर पब्लिक को लूटने की नियत से डरा रहा था, तो उसे जाप्ते की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा, तो उसने अपना नाम राकेश कुमार गुर्जर बताया, जिसके दाहिने हाथ में एक लोहे के धारदार चाकू जिसके फल की लम्बाई 26 सेमी व हत्थे की लम्बाई 11 सेमी व कुल लम्बाई 37 सेमी पाई गई, जिसे रखने का उसके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था, हथियार को कब्जे पुलिस लेकर सील मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/2014 दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी–अभियुक्त राकेश गुर्जर के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित व विधिक रूप से विवेचन नहीं कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तथा समस्त गवाह हितबद्ध है, जिन्होंने एक सोची–समझी साजिश के तहत अपीलार्थी को झूंठा फंसाया गया है। गवाहान के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना समुचित आधारों के अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है, जो पूर्ण रूप से मनमाना व अविधिक है। प्रकरण में जब्त आयुध पर अपीलार्थी व अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि प्रकरण में जब्त हथियार वही हथियार हो, किन्तु इन सभी तथ्यों की ओर विचारण न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाकर विधि के विपरीत यह निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी–अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी व चाकू बरामदगी की फर्द जब्ती बनाने में मात्र पांच मिनट का अंतर है, किन्तु फर्द गिरफ्तारी में उसके पास चाकू होने का कोई अंकन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट साबित होता है कि उसे प्रकरण में मिथ्या

संलिप्त करने हेतु उक्त बरामदगी झूंठी बनाई गई है। अंत में आलोच्य निर्णय दिनांक 15.05.2026 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होना बताते हुए जाहिर किया है कि इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद होना पूरे तरीके से साबित होता है व जब्ती से लेकर उक्त वजह सबूत का न्यायालय में प्रस्तुत होना एक कड़ीबद्ध अटूट साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। अंत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि व दण्डादेश को उचित होना बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न रहा है कि–

> *''क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.08.2014 को समय 11:30 पी.एम के लगभग पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने जयपुर में अपने सचेतन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक धारदार चाकू जिसे फल की लंबाई 26 सेन्टीमीटर एवं हत्थे की लम्बाई 11 सेन्टीमीटर, कुल लंबाई 37 से.मी. थी, रखा/वहन किया ?''*

7. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षी प्रस्तुत हुए हैं, उनमें जब्ती अधिकारी पी.ड. 4 जयसिंह, एएसआई ने कथन किया है कि दिनांक 02.08.2014 को वह मय जाप्ता रिडमल सिंह तथा चालक सुरेश मय चेतक वाहन से मनोज कुमार कांस्टेबल की इत्तला पर पोलोविक्ट्री पहुंचकर देखा, तो एक लड़का धारदार चाकू लेकर पब्लिक को लूटने हेतु डरा रहा था, जिसे मय जाप्ता की मदद से पकड़कर नाम–पता पूछने पर अभियुक्त द्वारा अपना नाम राकेश गुर्जर बताया व हाथ में धारदार चाकू, जिसके फल की लंबाई 26 सेमी, हत्थे की लंबाई 11 सेमी, कुल लंबाई 37 सेमी पाई गई, जिस पर अभियुक्त के पास वैध अनुज्ञापत्र नहीं होने से उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की सीमा में पाकर फर्द जब्ती

प्रदर्श पी–6, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 एवं तहरीर रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व पी–2 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 को प्रमाणित करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत लोहे के चाकू आर्टिकल–2 को भी पहचाना है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह गलत होना कथन किया है कि आर्टिकल–2 एक तरह का फर्नर हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि आर्टिकल–2 पर आईओ व अभियुक्त के लघु हस्ताक्षर नहीं है व अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके घरवालों को जरिए टेलीफोन दे दी थी।

8. इसके अतिरिक्त जाब्ते के साक्षी पी.ड. 2 रिडमल सिंह व पी.ड. 5 सुरेश चन्द ने भी पी.ड. 4 जयसिंह के कथनों की पुष्टि करते हुए प्रकट किया है कि ड्यूटी के दौरान मिली सूचना के आधार पर अभियुक्त को पकड़कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम राकेश गुर्जर बताया जाना एवं अभियुक्त के हाथ से धारदार लोहे का चाकू बरामद करना कथन करते हुए धारदार चाकू को जरिये प्रदर्श पी–6 जब्त करना व अभियुक्त की जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 को प्रमाणित करते हुए थाना वापसी आने पर जयसिंह द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाना कथन किया है। गवाह पी.ड. 1 मोहन सिंह, अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुकदमे के अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किया जाना, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाना व राज्य सरकार की अधिसूचना प्रदर्श पी–4 शामिल पत्रावली करना कथन करते हुए अनुसंधान की समस्त कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त के इस तर्क से हम सहमत नहीं है कि फर्द गिरफ्तारी व फर्द जब्ती में मात्र पांच मिनट का अन्तर है एवं फर्द गिरफ्तारी में अभियुक्त के पास चाकू होने का कोई अंकन नहीं है। चूंकि, अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द जब्ती के गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर उसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 बनाई गई व अभियुक्त के कब्जे से बरामद चाकू की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 बनाई गई है। बरामदगीकर्ता द्वारा जब समानान्तर रूप से दो अलग–अलग फर्द बनाई गई हैं, तो ऐसी स्थिति में मात्र चाकू का हवाला गिरफ्तारी की फर्द में नहीं देने मात्र से बरामदगी के सम्पुष्ट तथ्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के इन समस्त गवाहों से

विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर नहीं आया है, जिससे कि इन गवाहों की साक्ष्य को संदेहास्पद माना जा सके। समय के साथ नैसर्गिक गवाहों की साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास आना स्वाभाविक होता है, परन्तु ऐसे विरोधाभासों से समस्त साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार फर्द जब्ती के गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त के आधिपत्य से मौके पर चाकू बरामद होना पूर्णतया साबित होता है।

10. जहां तक अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं करवाने का तर्क है, यह सही है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है, परन्तु इस संदर्भ में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र किसी प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं होने के आधार पर अभियोजन की समस्त सुदृढ़ साक्ष्य को बिना किसी पर्याप्त व सुदृढ़ कारण के अविश्वसनीय या मिथ्या होना नहीं माना जा सकता है। यह सही है कि ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य अवश्य हो जाता है कि वह ऐसे प्रकरण में अपेक्षाकृत अधिक कठोरता से साक्षियों की साक्ष्य का मूल्यांकन करे।

11. इस प्रकार से जो समस्त अभियोजन साक्ष्य रिकार्ड पर रही है, उसके आधार पर साक्षियों ने युक्तियुक्त रूप से और सन्देह से परे अभियुक्त राकेश गुर्जर के अनन्य आधिपत्य से 26 से.मी. लम्बा धारदार फल का चाकू बरामद होना स्थापित किया गया है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से इस साक्ष्य के खण्डन में ऐसी कोई परिस्थितियां या आधार प्रकट नहीं किए हैं, जिसके आधार पर की गई समस्त कार्यवाही संदेहास्पद होना प्रकट होती हों।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी–अभियुक्त के अन्नय व चेतन आधिपत्य से 26 से.मी. लम्बे फल वाले चाकू को सार्वजनिक स्थान से बिना अनुज्ञा पत्र के, की गई बरामदगी आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अन्तर्गत उसे दोषसिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त रही है। अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (धारा 351 बीएनएसएस) या प्रतिरक्षा साक्ष्य में भी कोई खण्ड़न या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त रूप से विवेचन एवं मूल्यांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है व इसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर दोषसिद्धि की सीमा तक यह अपील निरस्त की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है।

13. जहां तक अपराध के मुकाबले में दण्डादेश के गैर आनुपातिक होने का प्रश्न है, स्वीकृत रूप से अपीलार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि का तथ्य पत्रावली पर नहीं है, अपीलार्थी–अभियुक्त लगभग 23 वर्ष की आयु का है व वर्ष 2014 से अर्थात, करीब 12 वर्षों से अंवीक्षा भुगत रहा है, अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अन्वीक्षा की लम्बी अवधि आदि को समग्र व संकलित रूप से दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी–अभियुक्त को तत्काल कारावास के दण्ड के स्थान पर सुधरने का एक मौका देते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

14. परिणामस्वरूपः राकेश गुर्जर पुत्र अमृतलाल गुर्जर, उम्र 23 वर्ष, निवासी गांव भाड़ौद, थाना गुडादित, जिला कोटा, हाल खानाबदोश, रेलवे स्टेशन, जयपुर द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, दोषसिद्धि की सीमा तक निरस्त की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 15.05.2026 पुष्ट किया जाता है तथा अपीलार्थी–अभियुक्त राकेश गुर्जर के विरूद्ध पारित दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्त को तत्काल कारावास की सजा के स्थान पर इस आदेश के साथ परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाता है कि वह आगामी दो वर्ष की अवधि तक परिशांति व सदाचरण बनाए रखेगा और इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने के लिए उपसंजात रहेगा। अपीलार्थी–अभियुक्त उपरोक्त शर्तों की पालना हेतु विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 25,000/–रुपये की जमानत व इसी राशि का एक मुचलका अपील

निर्णय दिनांक से 7 कार्य दिवस के भीतर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करे।

15. अपीलार्थी–अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1)(ख) के अंतर्गत 1,000/–रुपये (अक्षरे एक हजार रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप भी विचारण न्यायालय में जमा करवायेगा।

16. अपील निर्णय दिनांक से 7 कार्य दिवस के भीतर अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में यह अपील दण्डादेश के बिन्दु पर स्वतः निरस्त समझी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश के अनुसार उसे सजा भुगताई जाए।

17. अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी.एन.एस.एस.) के अन्तर्गत इस निर्णय के विरूद्ध अपील/याचिका प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 25,000/–रूपये का निजी बन्ध पत्र एवं इसी राशि की जमानत प्रस्तुत की जाए। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जाए।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

18. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

काना/

KANA RAM
KUMAWAT

04.07.2026 14:42
"Stenographer
Authenticated
Document"